तारीख हुक्म	
13.10.25	पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता वादी एवं वादीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी/वादी एवं स्वयं वादीगण अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं है। लिहाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी' व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:38:19 IST
Reason: SelfAttested